Fire NOC

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
पत्रांक: न–3/सीएफओ(हा0भ0मा0)-D-PE-159-2020 दिनांक: दिसम्बर 14 2020
सेवा में,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
जनपद–देहरादून।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या–2426, मानचित्र संख्या–R-0540/20-21 दिनांक 19.10.2020 एवं आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 87193070 दिनांक 09.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके साथ आवेदक SHRI SHAHZAD ALI S/O SHRI MOHAMMED AYOOB द्वारा KHASRA NO. 792 MIN & 794 MIN, SITUATED AT MAUZA DEHRAKHAS, PARGANA PACHWA DOON, जनपद देहरादून पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन (PROPOSED GROUP HOUSING PLAN FOR "DOON BUILDCON PVT. LTD.) निर्माण/शमन सम्बन्धी मानचित्र संलग्न करते हुए आपत्ति/अनापत्ति आख्या भेजने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से कर निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक 14.12.2020 इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. प्रस्तावित स्थल तक वर्तमान में अग्निशमन वाहन सुगमता से पहुंच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विद्युत लाईन नही गुजर रही है।
3. भवन मानचित्र के अवलोकन पर पाया गया कि प्रस्तावित आवासीय योजना बेसमेन्ट, स्टिल्ट तथा अग्रेत्तर नौ तल में प्रस्तावित है।

प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भवन परिसर में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाऐं किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रश्नगत भवन परिसर में अर्न्तगत 1.50 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत फायर स्टेटिक टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाय जहाँ पर अग्निशमन का वाहन सुगमता से पहुँच सके। भवन के चारो ओर भूमिगत पानी के टैंक से सम्बद्ध यार्ड हाईड्रेन्ट रिंग मैन का प्राविधान किया जाए। जिस पर पिलर टाईप फायर हाईड्रेन्ट मानकों के अनुसार फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण किया जाए। प्रत्येक फायर हाईड्रेन्ट के पास दो अदद डिलेवरी हौज पाईप प्रत्येक 100 फीट लम्बा मय साधारण ब्रान्च पाईप के फायर बाक्स में रखा जाना आवश्यक है।
2. फायर हाईड्रेन्टों को प्रेशरयुक्त पानी उपलब्ध कराने हेतु भूमिगत फायर स्टेटिक टैंक के पास पम्प हाउस का निर्माण किया जाय जिसमें 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का मेन विद्युत पम्प, डीजल पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता के एक जौकी पम्प का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। जिसे ऑटो मोड में रखा जाए।
3. प्रस्तावित भवन के टैरेस में 25 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैरेस टैंक का प्राविधान किया जाय। टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता का टैरेस पम्प का प्राविधान किया जाय।
4. प्रस्तावित भवन में वेट राईजर का प्राविधान किया जाय जो बेसमेन्ट से होते हुए टॉप फ्लोर तक जाय। उक्त वैट राईजर को भूमिगत तथा टैरेस टैंक से सम्बद्ध किया जाय। वैट राईजरो पर प्रत्येक तल में एक–एक लैण्डिंग वाल्व तथा एक–एक हौज रील वाल्व का प्राविधान किया जाय। प्रत्येक लैण्डिंग वाल्व के पास फायर कैबिन मे 02–02 अदद डिलीवरी हौज पाईप मय साधारण ब्रान्च तथा प्रत्येक हौज रील वाल्व पर 30 मीटर लम्बी हौज रील मय नाजुल फिट की जाय।
5. भवन के प्रत्येक प्रत्येक तल मे मुख्य प्रवेश/निकास मार्गो के अतिरिक्त आपातकालीन (FIRE EXIT) निकास मार्गो का प्राविधान किया जाए। भवन के प्रत्येक तल में निकास मार्गो पर प्रदीप्त सकेत चिन्हो (Signages) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तावित भवनों मे मेनुवली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाय।
7. भवनों में स्थापित लिफ्ट की दीवारें कम से कम 02 घण्टे तक फायर रेटिंग क्षमता की होनी आवश्यक है। साथ ही लिफ्ट के लिए फायर मैन स्विच का प्राविधान किया जाय ।
8. प्रस्तावित भवन में मानकों के अनुरुप रिफ्यूज एरिया का प्राविधान किया जाए।
9. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
10. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं फ्रेश एयर इन्डक्शन का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

–क्रमश: 02–

Scanned with CamScanner

56

11. प्रस्तावित भवनों मे की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होनी आवश्यक है।
12. प्रस्तावित भवनों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया जाए। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेन्ज ओवर लगया जाए।
13. प्रस्तावित भवनों मे शासनादेश/मानको के अनुसार अवरोध मुक्त पर्याप्त सैट बैक का प्राविधान किया जाए साथ ही भवन के चारो ओर अग्निशमन वाहन घूमने के लिये पर्याप्त सैट बैक का प्राविधान किया जाए जिसकी सतह लगभग 45 टन भार वहन क्षमता की होनी आवश्यक है।
14. प्रस्तावित भवनों का निमार्ण भूकम्प रोधी तकनीक पर किया जाय।
15. प्रस्तावित भवनों की छत पर आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु लाईटिनिग एरेस्टर का प्राविधान किया जाए।
16. प्रस्तावित भवन निर्माण के मानचित्र मे किसी प्रकार का संशोधन करने पर अग्निशमन विभाग को सूचित किया जायेगा।
17. प्रस्तावित भवन के निर्माणोपरान्त अग्निशमन विभाग को सूचित करेगे तथा निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणो का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एव उपनिदेशक (तकनीकी) उत्तराखण्ड अग्निशमन एंव आपात सेवा देहरादून महोदय के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 14.12.2020 के आधार पर प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दुओं एवं संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय मानक तथा नेशनल बिल्डिगं कोड आफ इण्डिया पार्ट–3 एवं पार्ट–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 837/V–2–2016–127(आ0)/15–टी.सी, दिनांक 03 जून 2016 में दिये गये प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने तथा भवन निर्माणोपरान्त भवन मे की गयी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण–पत्र लिये जाने की शर्त पर प्रश्नगत स्थल पर ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भवन निर्माण/शमन हेतु प्रारम्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। मानचित्र का एक सैट भी संलग्न है।

संलग्न– यथोपरि।

(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner